प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम - 695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/JHARKHAND/86370 408, 409 **Dated: 04.08.2026**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Enhancement of Dearness Relief to the Jharkhand state Government pensioners/ family pensioners with effect from 01/01/2026 (Enhanced from 58% to 60 %) & enhancement of Dearness Relief of Pre- revised Pay Scale (sixth pay) to the Jharkhand state Government pensioners/ family pensioners with effect from 01/07/2025 (enhanced from 252% to 257%) & with effect from 01/01/2026 (enhanced from 257% to 262%)-reg.

Ref: Letter No. PEN-III/Jharkhand/DR/2026-27/1742 dated 22/07/2026 under special seal authority, issued by O/o the Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi.

I am to enclose herewith the copy of letter received from the office of the O/o the Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, **www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension>>download>> "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>>Jharkhand"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

5/8/26

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer/ Pen-III,
   Principal Accountant General (A&E)
   Jharkhand, Ranchi,-**For Information.**

sd/-

Senior Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/JHARKHAND/86370 **Dated: 04.08.2026**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Enhancement of Dearness Relief to the Jharkhand state Government pensioners/ family pensioners with effect from 01/01/2026 (Enhanced from 58% to 60 %) & enhancement of Dearness Relief of Pre- revised Pay Scale (sixth pay) to the Jharkhand state Government pensioners/ family pensioners with effect from 01/07/2025 (enhanced from 252% to 257%) & with effect from 01/01/2026 (enhanced from 257% to 262%)-reg.

Ref: Letter No. PEN-III/Jharkhand/DR/2026-27/1742 dated 22/07/2026 under special seal authority, issued by O/o the Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi.

I am to enclose herewith the copy of letter received from the office of the O/o the Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, **www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension>>download>> "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>>Jharkhand"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

8
4/8/26.

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer/ Pen-III,
   Principal Accountant General (A&E)
   Jharkhand, Ranchi,-**For Information.**

Senior Accounts Officer

86370
29-7-26

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय, राँची

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) JHARKHAND, RANCHI

सत्यमेव जयते

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2026-27/ 1742 219 Dated:- 22 /07/2026.

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- 46/2026-27.

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B,Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh.	211001.
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt,Place (West), Kolkata	700001

29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33	Accountant General (A&E), Telangana, Haydrabad	500004

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2026 (Enhanced from 58 % to 60 %) & Enhancement rate of Dearness Relief of Pre-Revised Pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand State Government Pnsioners/Family Pensioners w.e.f. 01/07/2025 (Enhanced from 252% to 257%) & w.e.f. 01/01/2026 (Enhanced from 257% to 262%)

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.33/वि०(महँगाई भत्ता/ महंगाई राहत)--54/2017/1818/ वि. दिनांक-09/06/2026, 33-वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024-**1447**/वि० दिनांक **24/04/2026** & 33-वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024-**1816**/वि० दिनांक **09/06/2026** on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi.

पत्रांक : 33/वि. (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017/1213

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 09/06/2026

संकल्प

विषय : **दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 24.04.2026 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 58% (अन्ठावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 60% (साठ प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

''राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से मूल पेंशन का 60% (साठ प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय''।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1690/वि० दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

pmo 9 No 149 dt 8/5/26

स॰सं॰ : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024....1477/ वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

रॉंची / दिनांक 24/04/2026

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/4(ii)/2025- E.II (B), दिनांक 06.10.2025 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1274 / वि० दिनांक 07.04.2026 के क्रम में दिनांक 15.04.2026 की बैठक के मद सं० 31 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

Pen-3
1131

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/04/26

(प्रशांत कुमार)

का कार्यालय (ले० एवं ह०) झारखण्ड

pm 3 Dy No 530 dt 10/7/26

सं.सं. : 33–वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024......1816/वि

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 09/06/2026

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/1(ii)/2026- E.II(B), दिनांक 22.04.2026 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

''राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।''

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1686 / वि० दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं० 12 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/06/26

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

AAO/Pen-3

10/07/26.